रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1985/16 अग्रहायण, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 8 जुलाई, 1985

संख्या एच०एफ०डब्ल्यू०-बी० (ए) 4-5/79-III:--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-6-1978 में तथा यथा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं० 8-87/71-एच०एफ० डब्ल्यू० तारीख 27-3-78 के अधिक्रमण में और "हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टीशनर ऐक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 4 और धारा 54 की उप-धारा (1) के अध्यधम सहित धारा 54 की उप-धारा (2) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उनका जन-साधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित करते हैं। जिन्हें प्रारूपित नियमों के हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को भेजा जा सकता है।

इन प्रारूपित नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उक्त विनिर्दिष्ट के भीतर प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर सरकार विचार करेगी।

2350-राजपत्र/86-7-12-85—1,166 मूल्य: 20 पैसे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी (निर्वाचन) नियम, 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 21) अभिप्रेत है;
(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(ग) "मतदाता" से हिमाचल प्रदेश राज्यों में निवास कर रहा ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अभिप्रेत है जिसका नाम नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को रजिस्टर में दर्ज हो;
(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ङ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है।
(च) "रिटर्निंग अधिकारी" से अध्यक्ष या उस द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्त अभिप्रेत है;
(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
(ज) ऐसे अन्य शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उन के हैं।

3. निर्वाचन के बारे में अधिसूचना.—जब कभी भी धारा 3 की उप-धारा (1) खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन आवश्यक हो तो अध्यक्ष एक नोटिस जारी करके मतदाताओं से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख तक सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए कहेगा।

4. वह तारीख जिसको हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की गणना की जाएगी.—31 जनवरी वह तारीख होगी जिसकी कि हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या की धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन गणना की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन.—धारा 3 के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और उस निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थानों की संख्या में अनुपात, जहां तक व्यवहार्य हो सारे प्रदेश में एक जैसा हो।

6. निर्वाचक नामावली का तैयार करना.—निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर से तयार की जाएगी इसमें बोर्ड के सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान करने के लिए अर्हित प्रत्येक मतदाता का नाम, पिता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या अन्तर्विष्ट होगी।

7. प्रारूप-निर्वाचक नामावली का प्रकाशन.—रिटर्निंग अधिकारी धारा 9 में विवर्णित रीति से निर्वाचक नामावली को यह विवर्णित करते हुए नोटिस सहित प्रकाशित करेगा कि कथित निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों या लोप से सम्बन्धी कोई आक्षेप, नोटिस में आक्षेप की सुनवाई के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी की उसके कार्यालय में कार्यालय समय में प्रस्तुत की जाएगी।

8. निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन.—रिटर्निंग अधिकारी आक्षेपों की सुनवाई और विनिश्चय के पश्चात् शीघ्र परन्तु आक्षेपों की सुनवाई के लिए नियत तारीख से दस दिन तक न कि उसके पश्चात्, धारा 9 में अधिकथित रीति से अन्तिम निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करेगा और संदाय पर ऐसे व्यक्तियों को प्रदाय के लिए जो उसके लिए आवेदन करे निर्वाचक नामावली की पर्याप्त प्रतिलिपियां मुद्रित करवाएगा।

9. प्रकाशन का ढंग.—इन नियमों के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाने वाला कोई आदेश, अधिसूचना या निर्वाचक नामावली सम्यक रूप से प्रकाशित समझी जाएगी यदि वह निम्नलिखित के कार्यालयों के बाहर सहज दृष्य स्थानों पर रखी जाए:—

(क) राज्य में जिलाधीश, तहसीलदार और उप-खण्ड अधिकारी (सिविल); और

(ख) रजिस्ट्रार बोर्ड ।

10. निर्वाचन कार्यक्रम.—नियम 3 के अधीन जारी किये गये नोटिस के यथा शाक्य शीघ्र पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा। नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए नियत तारीख से 30 दिन के भीतर नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा उनकी संवीक्षा किए जाने के पश्चात् नाम वापस लेने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र भरने की तारीख, समय और स्थान मतदान के पश्चात् उस द्वारा मत पत्र प्राप्त करने की तारीख और निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नामों को प्रकाशित किये जाने की तारीख विनिर्दिष्ट करेगा ।

11. निर्वाचन कार्यक्रम.—अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन, परिवर्तन या उपान्तरण कर सकता है:

परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें आदेश की, तारीख से पूर्व की गई किसी भी कार्यवाही को अवधि मान्य बना देने वाला नहीं समझा जाएगा।

12. नियम 11 के अधीन आदेश का प्रकाशन.—नियम 11 के अधीन प्रत्येक आदेश, नियम 9 के अधीन विहित ढंग से प्रकाशित किया जाएगा।

13. अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन.—(1) हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाले रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यवसायी की, जिसका नाम नियम 8 के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली में दर्ज है। और अधिनियम के अधीन निरर्हित न हो, बोर्ड के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित किया जा सकता है;

बशर्ते कि सभी प्रकार से पूर्ण नाम निर्देशन पत्र, नाम निर्देशित व्यक्तियों अथवा उसके प्रस्तावक अथवा समर्थक द्वारा नियम 10 के अधीन नियत तारीख, समय और स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी को दे दिया जाता है।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम निर्देशन, प्ररूप–1 में पृथक नाम निर्देशन पत्र में किया जाएगा जिस पर सहमति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं और प्रस्तावित और समर्थक के रूप में दो व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की जाएगी जिनके नाम नियम 8 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन नामावली में दर्ज हों।

14. जमा.—नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के समय नियम 13 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार के पास पचास रुपये की राशि नकद अथवा मनीआर्डर द्वारा जमा करनी अथवा करवानी होगी और उसे नाम निर्देशन पत्र के साथ रजिस्ट्रार द्वारा जारी की गई नकदी की रसीद या मनीआर्डर रसीद संलग्न करनी होगी। ऐसी राशि जमा किये बिना किसी भी अभ्यर्थी को विधिवत् रूप से नाम निर्देशन नहीं समझा जाएगा।

15. जमा का समपहरण.—यदि वह अभ्यर्थी जिसने या जिसकी ओर से नियम में निर्दिष्ट राशि जमा की गई हो, निर्वाचित नहीं होता है और निर्वाचित हुए अभ्यर्थी को प्राप्त मतों के आधे मतों से कम मत प्राप्त करता है तो उसके द्वारा जमा की गई राशि का बोर्ड के पास समपहरण हो जाएगा।

16. जमा राशि का प्रतिदाय.—निम्नलिखित दशाओं में जमा की गई राशि, रिटर्निंग अधिकारी की सिफारिश पर अध्यक्ष के लिखित आदेश द्वारा अभ्यर्थी को या यदि उसके द्वारा जमा की गई हो तो उस व्यक्ति को

जिसने राशि जमा की हो और अभ्यर्थी की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दी जाएगी :–

(क) जहां अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रद्द कर दिया गया हो, या

(ख) जहां अभ्यर्थी ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया हो ; या

(ग) जहां मतदाताओं को मत पत्र जारी किए जाने से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो चुकी हो।

(2) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित दशाओं में जमा राशि वापस कर दी जाएगी :—

(क) जहां कि अभ्यर्थी निर्वाचित न किया गया हो किन्तु उसकी राशि का नियम 15 के अधीन समपहरण न हुआ हो; या

(ख) जहां अभ्यर्थी निर्वाचित हो गया हो।

17. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा और आक्षेपों पर निर्णय.—(1) रिटर्निंग अधिकारी, परीक्षण के लिए नियत समय में नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा, किसी अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आक्षेप कर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किये गये आक्षेपों की यदि कोई हो, सुनवाई करेगा और इन आक्षेपों की ऐसी जांच के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, अवधारित करेगा। नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय और इसके कारण का संक्षिप्त कथन नाम निर्देशन पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा और वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा :

(क) परन्तु रिटर्निंग अधिकारी नामों अथवा संख्या के बारे में हुई लिपकीय अशुद्धी जिन्हें निर्वाचक नामावली में तत्स्थानी प्रविष्टियों के अनुरूप ठीक किया जाएगा, की अनुमति दे सकता है; और

(ख) जहां आवश्यक हो, यह निदेश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टि की किसी लिपकीय अथवा मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धि पर ध्यान न दिया जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आक्षेप करने वाला व्यक्ति मतदाता होना चाहिए।

18. अभ्यर्थिता का वापस लेना.—(1) कोई अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्रों को वापिस लिए जाने के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को अपने हस्ताक्षरों के द्वारा लिखित नोटिस देकर अपना नाम निर्देशन पत्र वापिस ले सकता है,

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने उप-नियम (1) के अधीन अपना नाम निर्देशन पत्र वापिस लिए जाने के बारे में नोटिस दिया हो, नाम निर्देशन पत्र की वापसी रद्द करने अथवा उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में पुनः नाम निर्देशित किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19. नाम निर्देशन पत्रों की सूची का चपकाया जाना.—(1) रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों को वापिस लिए जाने के लिए नियत अवधि की समाप्ति पर प्ररूप-2 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वैध रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों (जिसको इसके पश्चात् किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी कहा गया है) की सूची वर्ण क्रमानुसार तैयार करेगा और इसकी अपने कार्यालय के बाहर चिपका करके प्रकाशित करेगा, और नियम 20 के अधीन की गई कार्यवाही के अतिरिक्त उनके नामों का प्ररूप-3 में मतदाता सूची में दर्ज करायेगा।

(2) विधिमान्यतः—रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को जो सम्यक रूप से नाम निर्देष्ट किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत द्वारा सूचित करेगा।

20. विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्रक्रिया.—(1) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान हो तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विधिवत् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(2) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कम हो तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विधिवत् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची अध्यक्ष के माध्यम से और यदि वह स्वयं अध्यक्ष हो तो सीधी सरकार को भेजेगा, इसमें वह रिक्त स्थानों को उल्लेख करते हुए रिपोर्ट भी भेजेगा और साथ ही शेष रिक्त स्थानों को भरने के लिए भी कार्रवाई करेगा।

21. निर्वाचन के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु.—यदि विधिवत रूप से नाम निर्दिष्ट किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तथा उसकी मृत्यु की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को मतदाताओं को मत पत्र दिये जाने से पूर्व प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट करेगा तथा उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजेगा और उक्त निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्वाचन के लिए निर्वाचित कराया जाएगा मानों यह नया निर्वाचन हो:

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी की दशा में जिसका नाम नियम 19 के अधीन प्रकाशित विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज किया जा चुका हो को नया नाम निर्देशन भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

22. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मत पत्रों का डाक द्वारा भेजा जाना.—(1) रिटर्निंग अधिकारी, नियम 19 के अधीन विधिमान्य नाम निर्देशनों की सूची के प्रकाशन के यथा शक्य शीघ्र पश्चात् डाक प्रमाण पत्र के अधीन प्रत्येक मतदाता को प्ररूप–3 में एक मतपत्र भेजेगा और प्रत्येक ऐसे मत पत्र के प्रतिपत्रक पर उस मतदाता का नाम और निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या को दर्ज करेगा जिस को मत पत्र भेजा गया हो।

(2) मतपत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित भी भेजेगा :—

(क) प्ररूप 4–क में लिफाफा जो रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित किया गया हो, और
(ख) एक लिफाफा जिसमें बाहर मतपत्रों की संख्या दर्ज की गई हो। रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप 4-ख के लिफाफे के बाएं किनारे पर मतपत्र संख्या दर्ज करवाएगा।

(3) आवरण तथा लिफाफे सहित मतपत्र, मतदाता की मतदाता सूची में दर्शाये गये पते पर भेजा जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन सभी मतपत्रों को जारी किये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी मतपत्रों के प्रति पत्र को एक पैकिट में मुहरबन्द कर देगा और ऐसे पैकिटों पर इसकी अन्तर्वस्तु तथा सम्बन्धित निर्वाचन का उल्लेख करेगा।

(5) कोई भी निर्वाचन इस आधार पर विधिमान्य नहीं माना जाएगा कि मतदाता को उसका मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बशर्ते कि मतपत्र इन नियमों के अनुसार जारी किया गया हो।

23. मतपत्र पर अपना मत लिखित करने के पश्चात् उसका वापिस किया जाना.—नियम 22 के अधीन भेजे गए मतपत्र को प्राप्ति पर प्रत्येक मतदाता यदि वह निर्वाचन में मत देना चाहता हो तो इस पर अपना मत अंकित करेगा तथा मतपत्र पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार कथन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) मतदाता मतपत्र को लिफाफे में डालकर बन्द करेगा और इसे आवरण में नत्थी करने के पश्चात् उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार डाक अथवा सन्देशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा ताकि वह उसे इस सम्बन्ध में नियम 10 के अधीन नियत की गई तारीख को 3 बजे अपराह्न पहुंच जाए।

24. मतपत्र पर मतदाता के हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन.—मतदाता अपने हस्ताक्षरों की न कि अपने मत को ग्राम पंचायत के प्रधान या भारत सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित करायेगा।

25. अतिरिक्त तथा नए मतपत्रों का जारी करना.—(1) जब नियम 22 के अधीन डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र तथा अन्य सम्बन्धित कागजात किसी भी कारण से अवतरित वापस कर दिए गए हों तो रिटर्निंग

अधिकारी मतदाता के आवेदन पर उन्हें पुनः जारी करके मतदाता को व्यक्तिगत रूप में दे सकता है।

(2) ऐसी दशाओं में जहां किसी मतदाता ने अपने मतपत्रों या उससे सम्बद्ध कागजातों का इस ढंग से प्रयोग किया है कि पत्रों का सुविधापूर्वक प्रयोग न किया जा सकता हो तो रिटर्निंग अधिकारी, मतदाता द्वारा मतपत्र और अन्य सम्बन्ध कागजात के वापस करने या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा असावधानता के बारे अपना समाधान करने पर मतदाता को मतपत्रों और अन्य सम्बन्ध कागजात का दूसरा सैट जारी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी को मतपत्रों के प्रति पैत्रों सहित वापस किए गए मतपत्रों पर वह "रद्द" का चिह्न अंकित करेगा। ऐसे रद्द किए गए पत्र मतपत्रों के प्रति पत्रकों के अतिरिक्त इस के प्रयोजन के लिए बनाये गये अलग लिफाफे में रखे जायेंगे।

26. मत देने का ढंग.—(1) प्रत्येक मतदाता के निर्वाचन क्षेत्र के उतने ही मत होंगे जितने कि निर्वाचन में स्थान भरे जाने हों।

(2) ऐसा मतदाता अपना मत देते समय, जिसको वह अपना मत देना चाहता हो, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र या दोहरे निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी के नाम के सामने का चिह्न अंकित करेगा जैसी भी स्थिति हो।

27. मतों की गणना.—(1) मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नियम 10 के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्रों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख से अगले दिन को की जायेगी और 10 बजे प्रातः आरम्भ की जायेगी।

(2) रिटर्निंग अधिकारी और उसके आदेशों के अधीन मतों की गणना में सहायता करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति गणना के स्थान पर उपस्थित नहीं रह सकेगा।

28. मतपत्रों की अविधिमान्य घोषित करने के लिए आधार.—मतपत्र जिस पर:—

(क) किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने गुणा का चिह्न (×) अंकित न किया गया हो;

(ख) निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने वाले स्थानों से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्न अंकित किया गया हो;

(ग) ऐसा × चिन्ह लगाया गया हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती हो;

(घ) मतदाता के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित न किये गये हों; या

(ङ) कोई अन्य कारण जो निश्चित न हो कि मतदाता किस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को मत डालना चाहता था।

अविधिमान्य होगा:

परन्तु खण्ड (ङ) की दशा में यदि "×" चिन्हों की कुल सं0 निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो और किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मत डाले जाने की बाबत कोई अनिश्चितता न हो तो मतपत्र पूर्णतयः अविधिमान्य नहीं होगा।

29. मतगणना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—नियम 27 में उल्लिखित समय, स्थान और तारीख को रिटर्निंग अधिकारी नियम 10 के अधीन मत पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख को 3 बजे अपराह्न से पूर्व नियम 23 के अधीन उसको प्राप्त उन आवरणों को खोलेगा जिनमें मतपत्र अन्तर्विष्ट हो और उनको आवरण से बाहर निकालेगा और मतपत्रों की जिन्हें वह विधिमान्य समझता हो उन मतपत्रों से अलग करेगा जिनकी वह उन पर शब्द "अस्वीकृत" और अस्वीकृति के आधार को पृष्ठांकित करके अस्वीकार कर देता है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी उसके पश्चात् विधिमान्य मतपत्रों की गणना करेगा जिनको उसने अस्वीकार न कर दिया हो।

(3) यदि नियत दिन को गणना पूरी नहीं हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी अगले दिन 10 बजे प्रातः कार्यवाहियों को स्थगित कर सकेगा और ऐसे मामले में निर्वाचन सम्बन्धी सभी दस्तावेज अपनी स्वयं की मोहर या अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की मोहरों के अधीन रखेगा यदि कोई उपस्थित हो और उनको मोहर बन्द करेगा यदि ऐसा करना चाहे और सभी दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए अन्यथा उचित सावधानियों के उपाय करेगा। रिटर्निंग अधिकारी एक दिन के बाद दूसरे दिन और आगे दिनों के लिए कार्यवाहियों को तब तक स्थगित कर सकेगा जब तक कि मत गणना पूरी नहीं हो जाती है।

(4) मतगणना पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी स्वतः या किसी अभ्यर्थी की प्रार्थना पर जिसके लिए मत डाले गये हों या उसके अभिकर्ता की प्रार्थना पर मतों की दोबारा गणना कर सकेगा।

30. परिणाम की घोषणा.—जब निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना या यदि पुनर्गणना की जानी हो तो पुनर्गणना पूरी हो जाने पर, रिटर्निंग अधिकारी उस निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित करेगा जिसने या जिन्होंने सब से अधिक मत प्राप्त किये हों और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे सफल हुए अभ्यर्थियों को उनके बोर्ड के लिए निर्वाचित किये जाने की सूचना पत्रों द्वारा उन्हें तुरन्त भेजेगा और उस एक प्रति अध्यक्ष और सरकार को भी भेजेगा।

31. एक समान मत होने की स्थिति में निर्णय.—जब किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य एक समान मत पाए जाते हैं और एक मत अतिरिक्त होने पर किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जा सके तो इस बात का अवधारण, कि अतिरिक्त मत किस निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को दिया जाए, का निर्णय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में भाग्य पत्रक द्वारा किया जाएगा।

32. निर्वाचन सामग्री को मोहर बन्द करना और उनका परीक्षण.—परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों, और निर्वाचन सम्बन्धी सभी अन्य दस्तावेजों की मोहर बन्द कर देगा और उन्हें छः मास की अवधि के लिए अपने पास रखेगा और उसके पश्चात् नष्ट करा देगा।

33. निर्वाचन याचिका दायर करने के लिए प्रतिभूति राशि.—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, विहित प्राधिकारी की निर्वाचन याचिका दायर करते समय बोर्ड के चालू लेखे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया में या बोर्ड के कार्यालय में एक सौ रुपया जमा करवायेगा और उक्त बैंक या अध्यक्ष द्वारा जारी की गई रसीद निर्वाचन याचिका के साथ संलग्न करेगा।

34. प्राधिकारी जिस के पास निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी.—निर्वाचन याचिका अध्यक्ष के पास प्रस्तुत की जा सकेगी और उसकी अध्यक्ष, उस द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निर्वाचन अधिकरण को विनिश्चय के लिए भेजेगा।

35. शपथ पत्र का प्ररूप.—जब किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया हो तो याची निर्वाचन याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसकी विशिष्टियां जो कि प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित होगी, के समर्थन में प्ररूप 6 में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

आदेश द्वारा,
ओ० पी० यादव,
सचिव (स्वास्थ्य),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्ररूप 1

(नयम 13 देखें)

नाम निर्देशन पत्र

निर्वाचन क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन।

नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी के बारे विशिष्टियां—

1. अभ्यर्थी का नाम..
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या..
3. पिता का नाम..
4. आयु लिंग समुदाय..
5. प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा की पद्धति..
6. अभ्यर्थी को निर्वाचित अर्हताएं..
7. पता ....
8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर..
9. प्रस्तावक की पंजीकृत संख्या..
10. प्रस्तावक का पता..
11. समर्थक के हस्ताक्षर..
12. समर्थक की पंजीकृत संख्या..
13. समर्थक का पता..

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा-पत्र:—

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूं। मेरा नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या.............................पर है।

मैंने रसीद सं०........................तारीख........................के अधीन पचास रुपए की प्रतिभूति जमा करा दी है, जो कि इसके साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

इस नामनिर्देशन पत्र को मैंने ....(तारीख और समय) प्राप्त किया था।

रिटर्निंग अधिकारी

अनुदेश

ऐसा नाम निर्देशन पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा..............................से पूर्व प्राप्त न हुआ हो, अविधिमान्य होगा।

2. अभ्यर्थी का नाम वही होगा जो निर्वाचक नामावली में दिया गया हो। अभ्यर्थी को दी जाने वाली रसीद ।

श्री.....का नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक निर्वाचन लड़ने वाले प्राधिकृत अभिकर्ता से.....(तारीख और समय) को प्राप्त हुआ।

प्ररूप 2

(नियम 19 देखें)

निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमान्यत: नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची:

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

रिटर्निंग अधिकारी ।

प्ररूप 3

(नियम 19 और 22) देखें

.....निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतपत्र का अग्रभाग

प्रति-पत्रक	अभ्यर्थियों का नाम	आयुर्वेदिक पद्धति अपनाने वाले	यूनानी पद्धति अपनाने वाले	मतपत्र पर निशान लगान का स्थान
				.....के लिए
हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पावति के बोर्ड का निर्वाचक नामावली में मतपत्रों की क्रम संख्या		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		

मतदाता का नाम.....

प्रेषक की तारीख.....

प्रेषण अधिकारी आदि के आद्यक्षर.....

टिप्पणी:—मतपत्र के पिछले भाग पर निर्वाचक नामावली में दी गई मतदाता की संख्या अंकित की जाएगी जिसको मतपत्र भेजा जा रहा है।

अनुदेश

1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ..... है जिसको मतदाता मत देना चाहता है जिस में से ..... आयुर्वेदिक पद्धति अपनाने वाले और ..... यूनानी पद्धति अपनाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी होंगे ।

2. निर्वाचित किए जाने वाले ..... अभ्यर्थियों में से ..... व्यक्तियों के पास आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए ।

3. जिन अभ्यर्थियों के नाम पर चिन्ह × चिह्नित किया गया है उनके पास आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में डिप्लोमा या डिग्री है ।

4. आप जिन अभ्यर्थियों को मत देना चाहते हैं उनके नाम के सामने चिन्ह × लगाकर मत देना होगा । यदि आप अपने सभी मतों का प्रयोग न करना चाहते हों (जहां पर एक से अधिक मत अनुमत हैं और आप उनका प्रयोग नहीं करना चाहते हों) तो एक से अधिक मत किसी भी और अभ्यर्थी को नहीं दिया जा सकेगा।

5. मत-पत्र अविधिमान्य होगा यदि :—

(क) चिन्ह × निर्वाचन किए जाने वाले अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों के सामने लगाया हो, या

(ख) घोषणा पत्र मतदाता द्वारा उचित रूप में हस्ताक्षरित न किया गया हो, या

(ग) इस पर रिटर्निंग अधिकारी के आधार के आद्यक्षर न किए गए हों, या

(घ) उस पर मत अभिलिखित न किया गया हो, या

(ङ) मतदाता उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या कोई शब्द लिख देता है या कोई ऐसा चिह्न अंकित कर देता है जिस से उसके मतपत्र की पहचान हो जाए,

(च) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या, रिक्तियों के भरे जाने की संख्या से बढ़ जाए, या

(छ) यह हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी (निर्वाचन) नियम, 1985 से संगत न हो, या

(ज) यह, इस अनिश्चितता के कारण कि एक मत का या इससे अधिक मतों का प्रयोग किया गया है, अमान्य हो :

परन्तु जब उसी मतपत्र पर एक से अधिक मत दिया जा सकता हो और यदि एक चिह्न इस प्रकार से लगाया गया हो कि जिससे संदेह उत्पन्न हो जाए और पता न लग सके कि चिह्न किस पर लगाया गया है तो इसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध मत ही अविधिमान्य होगा न कि सारा मत पत्र अविधिमान्य हो जायेगा ।

6. आप को घोषणा (संलग्न) प्ररूप-5 में हस्ताक्षरित करना चाहिए और उसमें निर्वाचक नामावली में दी गई संख्या और निवास स्थान जिसका अनुप्रमाणन अधिकारी की उपस्थिति में जो कि राजपत्रित कर्मचारी या प्रधान होगा, लिख देना चाहिए । वह मतदाताओं के केवल हस्ताक्षर ही अनुप्रमाणित करेगा किन्तु उसके मत की अनुप्रमाणित नहीं करेगा जो कि उसकी उपस्थिति में नहीं दिया जायेगा । आपकी यह घोषणा, मतपत्र के सहित वापस करनी होगी जोकि एक छोटे लिफाफे में डाली जायेगी । ऐसे हस्ताक्षर, प्रविष्टि और अनुप्रमाणन के बिना मत-पत्र अविधिमान्य होगा ।

7. यदि आप एक से अधिक मतपत्र भरते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त केवल ऐसा प्रथम मतपत्र ही विधिमान्य होगा यदि अन्यथा ठीक हो, यदि रिटर्निंग अधिकारी इस बात को अवधारित करने में असफल हो जाए कि कौन सा ऐसा मतपत्र पहले प्राप्त हुआ था तो दोनों या ऐसे सभी मतपत्र अविधिमान्य होंगे ।

8. मत-पत्र रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेजे जायेंगे या उसे व्यक्तिगत रूप में सौंपे जायेंगे मत-पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा (समय और तारीख) 1985 से पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं । वे अस्वीकार कर दिए जायेंगे ।

प्ररूप 4-क

छोटा लिफाफा

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी (निर्वाचन),
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

प्ररूप 4-ख

[नियम 22(2) देखें]

बड़ा लिफाफा

क्रमांक.....

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी (निर्वाचन),
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

प्ररूप 5

(प्ररूप-3 में अनुदेश संख्या 6 देखें)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरा नाम निर्वाचक नामावली में..... प्रविष्ट संख्या.....पर है ।

मतदाता के हस्ताक्षर।
निवास स्थान.....

प्रमाणित करता हूं कि उक्त मतदाता ने घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की है ।

अधिकारी का नाम.....अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर अनुप्रमाणन अधिकारी का पदनाम और पूरा पता:—

प्ररूप 6

शपथ पत्र

मैं.....सुपुत्र श्री.....आयु.....निवासी.....
(व्यवायी का नाम) (पिता का नाम) (पूरा पता लिखें)
सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/शपथ लेता हूं और कहता हूं कि:—

(1) कि प्रत्यर्थी भ्रष्ट-आचरण का दोषी रहा है (यहां एक या उससे अधिक भ्रष्ट आचरणों और उनकी विशिष्टियों का उल्लेख करें) ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर ।

आज तारीख.....को 1985.....के.....दिन को श्री/श्रीमती ने.....सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान किया है/शपथ ली है ।

अनुप्रमाणन मैजिस्ट्रेट का नाम,
कार्यालय की मोहर सहित
अनुप्रमाणन की तारीख और स्थान ।